भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 182

12 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत व्यक्तियों को राशन कार्ड

182. सुश्री महुआ मोइत्रा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को यह जानकारी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के 8 करोड़ ऐसे श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया था जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 20 अप्रैल, 2023 को आदेश जारी किए जाने के बाद से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कितने व्यक्तियों को राशन कार्ड प्रदान किए गए हैं;

(ग) ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्तियों को राशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त खाद्यान्न मांगा है; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा उक्त निर्देशों के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्तियों को राशन देने के लिए प्रत्येक राज्य को कितना अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान किया गया है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 12 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. *182 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी हां, केंद्र सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 'प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं और कष्ट' नामक मामले से अवगत है, जिसमें न्यायालय ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, को उनकी पात्रता के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया था। इसके अनुपालन में, इस विभाग ने समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित श्रम विभागों के साथ समन्वय करके उन सभी ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं का डाटा प्राप्त करने का निर्देश दिया है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं और उन्हें उनकी पात्रता के आधार पर राशन कार्ड जारी किया जाए।

(ख): राशन कार्ड धारक ई-श्रम पंजीयकों की संख्या का राज्यवार डाटा **अनुबंध** में संलग्न है।

(ग) और (घ): वर्तमान में ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और दिल्ली, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ने ई-श्रम पोर्टल पर जारी राशन कार्डों के लिए इस विभाग से खाद्यान्नों की अतिरिक्त आवश्यकता की मांग की है। यह कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन, तत्कालीन योजना आयोग द्वारा निर्धारित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जनसंख्या कवरेज के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभार्थियों की पहचान तथा एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों की निर्धारित पात्रता अर्थात अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किए गए परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह तथा प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह के आधार पर किया जाता है।

जब भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उस राज्य के लिए निर्धारित लाभार्थियों की अधिकतम सीमा के भीतर नए लाभार्थियों को जोड़ने के कारण अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्नों के आबंटन में संशोधन के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं, तो उनकी जांच की जाती है और मौजूदा नीति के अनुसार संशोधित आबंटन आदेश जारी किए जाते हैं।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 12.03.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 182 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राशन कार्ड धारक ई-श्रम पंजीयकों की संख्या का राज्यवार डाटा (28 जनवरी 2025)

क्र.स.	राज्य का नाम	कुल ईश्रम पंजीयक (वर्तमान राज्य श्रेणी के तहत)	एनएफएसए राशन कार्ड धारक ई-श्रम पंजीयक	राज्य स्कीमों के तहत लाभार्थी (17 राज्य)	राज्य राशन कार्ड धारक ई-श्रम पंजीयक (17 राज्यों को कवर करते हुए)	राशन कार्ड धारक कुल ई-श्रम पंजीयक	राशन कार्ड धारक पंजीयकों का %
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	32,148	4,802	385	39	4,841	15%
2	आंध्र प्रदेश	81,15,936	51,83,050	76,45,756	14,18,606	66,01,656	81%
3	अरुणाचल प्रदेश	1,92,285	1,06,013			1,06,013	55%
4	असम	75,50,793	69,05,620			69,05,620	91%
5	बिहार	2,95,23,945	2,57,96,949			2,57,96,949	87%
6	चंडीगढ़	1,84,643	1,07,000			1,07,000	58%
7	छत्तीसगढ	85,07,764	66,15,887	84,75,614	17,24,453	83,40,340	98%
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीव	74,218	38,461			38,461	52%
9	दिल्ली	34,14,793	18,37,868			18,37,868	54%
10	गोवा	74,476	35,492			35,492	48%
11	गुजरात	1,18,51,410	86,70,621	2,16,23,238	10,25,378	96,95,999	82%
12	हरियाणा	53,44,912	46,02,475			46,02,475	86%
13	हिमाचल प्रदेश	19,79,094	9,73,328	41,02,598	7,71,721	17,45,049	88%
14	जम्मू और कश्मीर	35,12,527	27,16,859	33,46,551	6,40,299	33,57,158	96%
15	झारखंड	95,79,197	82,64,518			82,64,518	86%
16	कर्नाटक	1,00,10,448	82,82,669	84,36,391	8,91,260	91,73,929	92%
17	केरल	59,96,426	35,66,424	2,01,93,609	23,28,217	58,94,641	98%
18	लद्दाख	33,161	24,274	1,088	80	24,354	73%
19	लक्षद्वीप	2,699	1,024			1,024	38%
20	मध्य प्रदेश	1,83,29,965	1,54,12,269			1,54,12,269	84%
21	महाराष्ट्र	1,71,41,832	1,32,60,821	2,88,81,663	11,97,788	1,44,58,609	84%
22	मणिपुर	4,50,027	4,06,361			4,06,361	90%
23	मेघालय	3,24,279	1,89,696	7,64,221	7,743	1,97,439	61%
24	मिजोरम	64,827	46,204	4,72,908	17,201	63,405	98%
25	नागालैंड	2,30,747	2,21,221			2,21,221	96%
26	ओडिशा	1,34,96,415	1,21,28,700			1,21,28,700	90%
27	पुडुचेरी	1,88,421	1,52,494	5,90,114	34,927	1,87,421	99%

...2/-

28	पंजाब	57,53,512	42,81,008			42,81,008	74%
29	राजस्थान	1,41,41,178	97,76,010			97,76,010	69%
30	सिक्किम	41,730	30,669	393	41	30,710	74%
31	तमिलनाडु	88,39,798	58,09,882			58,09,882	66%
32	तेलंगाना	44,31,957	30,49,712			30,49,712	69%
33	त्रिपुरा	8,81,989	6,45,305	13,36,142	2,18,263	8,63,568	98%
34	उत्तर प्रदेश	8,37,13,615	6,78,50,302			6,78,50,302	81%
35	उत्तराखंड	30,47,025	20,94,256	35,65,128	6,71,800	27,66,056	91%
36	पश्चिम बंगाल	2,63,86,135	1,89,97,805	2,82,34,658	66,57,803	2,56,55,608	97%
कुल		**30,34,44,327**	**23,80,86,049**	**13,76,70,457**	**1,76,05,619**	**25,56,91,668**	**84%**

*****